न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2021	प्रा0पत्र 136 RLRA	04.01.2021	11.08.2021

सुरेशचन्द्र पुत्र स्व. ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता स्व. ईशरराम की सह खातेदारी की कृषि भूमि वाके रोही ग्राम राणासर तहसील चूरू में स्थित थी जिसके वर्तमान ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 हैं। प्रार्थी के पिता ईशरराम का स्वर्गवास हो चुका है व उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी का विरासतन इन्तकाल तस्दीक हुआ उस समय प्रार्थी की उम्र बहुत कम थी उस समय प्रार्थी को केवल सुरेश के नाम से ही परिवार के लोग पुकारते थे। इसलिए विरासतन इन्तकाल में नामान्तरकरण सुरेश के नाम से दर्ज हो गया था जबकि दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम दर्ज होना था ये ही सही नाम है। इसी नाम अर्थात् सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम के नाम से ही भारत निर्वाचन आयोग प्रार्थी का पहचान पत्र बना हुआ है इसी नाम से प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड बना हुआ है। यह कि प्रार्थी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व आयकर विभाग के कार्ड में भी प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम नाम से दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी के समस्त रिकार्ड में प्रार्थी का यही नाम सही है। यह कि प्रार्थी के पिता की सह खातेदारी के खेत ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 वाके रोही ग्राम राणासर तहसील चूरू में स्थित हैं। प्रार्थी के पिता ईशरराम का स्वर्गवास प्रार्थी के बचपन में हो गया था इसलिए जिस नाम से प्रार्थी को पुकारते थे उसी नाम से पटवारी हल्का द्वारा उनके वारिसान के रूप में प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम के स्थान पर सुरेश पुत्र ईशरराम गलत दर्ज कर दिया जो अंकन गलत है क्योंकि प्रार्थी का सही नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम है। इस गलत अंकन से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह कि ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 की जमाबन्दी में प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम राजस्व कर्मचारियों की गलती से सुरेश पुत्र ईशरराम अंकन कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। इसलिए जमाबन्दी में सुरेश पुत्र ईशरराम के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 वाके रोही ग्राम राणासर तहसील चूरू की जमाबन्दी में प्रार्थी खातेदार के नाम से बने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज सुरेश पुत्र ईशरराम के स्थान पर प्रार्थी का सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम संशोधित किया जाकर जमाबन्दी को दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में लिखे तथ्य ख.नं. सही हैं व विरासतन इन्तकाल भी रिकार्ड अनुसार सही है। शेष तथ्य प्रार्थी को साबित करना है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में तथ्य जिस प्रकार से लिखा गया है सभी रिकार्ड के आधारं पर हैं जिसका जवाब देना आवश्यक नहीं है। स्वयं प्रार्थी को साबित करना है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में लिखे तथ्य आंशिक सही हैं। प्रार्थी के पिता की सह खातेदारी की कृषि भूमि होना स्वीकार है। बचपन में किस नाम से पुकारते थे प्रार्थी को साबित करना है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का नाम सुरेश की जगह सुरेशचन्द्र कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का जवाब स्वीकार फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी ❖ चूरू ❖ (राजस्थान)

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने के बाद बहस से पूर्व नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित पटवारी से जांच रिपोर्ट लिया जाना उचित मानते हुए पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि सम्बन्धित पटवारी से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली जाकर पेश करें। जिस पर पटवारी हल्का ढाढर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पटवारी हल्का ढाढर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार तथा पैरोकार राज की ओर से पेश जवाब के आधार पर पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी खातेदार का गलत दर्ज नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम संशोधित किया जाकर दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम शुद्ध किया जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए यदि उक्त नाम दुरूस्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात, जवाब पैरोकार राज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाढर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 कुल तादादी 12.5832 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राणासर तहसील चूरू की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर हिस्सा 1/3 अंकित है। प्रमाणित नकल नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 11.06.84 ग्राम राणासर के अनुसार प्रार्थी के दादा लिछमन वल्द किशना व प्रार्थी के पिता ईशर के स्वर्गवास के बाद दर्ज उक्त विरासतन नामान्तरकरण से वादगत कृषि भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। इसी नामान्तरकरण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर अंकित हुआ है जिसको शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020[illegible] आधार कार्ड संख्या 617650988159, पेन कार्ड CIOPC2375J, राशनकार्ड [illegible] एवं जन आधार कार्ड संख्या 9999–DA70–00302 सम[illegible] सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम अंकित है। पैरोकार राज ने भी प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम शुद्ध किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जाने में कोई आपत्ति नहीं की है तथा बहस में कथन किया है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। पटवारी हल्का ढाढर ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर मौजूद व्यक्तियों एवम् ग्रामवासियों से मौके पर पूछताछ करने पर ग्रामवासियों ने बताया कि सुरेश पुत्र ईशर जाति मेघवाल निवासी राणासर जिसका शुद्ध एवम् सही नाम सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम है। प्रार्थी सुरेशचन्द्र ने आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की जिनमें भी प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र है। अतः सुरेश पुत्र ईशर की बजाय सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम शुद्ध किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, जवाब पैरोकार राज एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाढर के अवलोकन से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित प्रार्थी के अपूर्ण नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि में नाम पूर्ण नहीं होने से प्रार्थी को कठिनाई होना स्वाभाविक है तथा उसके अधिकारों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ना परिलक्षित है जिसको शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना उचित है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार एवं सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम दुरूस्त किया जाना हम न्यायोचित मानते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 129, 131, 22, 22/526 कुल तादादी 12.5832 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राणासर तहसील चूरू में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र ईशर के स्थान पर सुरेशचन्द्र पुत्र ईशरराम संशोधित कर दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested